

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प01/11/82 दिनांक 28/06/2011


—: आदेश :-

निर्देशानुसार राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से वर्ष 2011 में चिकित्सा अधिकारी के पद पर चयनित होने के फलस्वरूप निदेशालय के सागरांख्यक आदेश क्रमांक 12 दिनांक 14.03.11 के द्वारा चिकित्सकों को नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन किया गया। नियुक्ति के शर्तों के अनुसार आदेश जारी होने कि दिनांक से एक माह के भीतर-2 नव नियुक्ति पर कार्यग्रहण करना अनिवार्य है। निम्नलिखित चिकित्सकों ने उनके नाम के सामने अंकित कारणों से कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि हेतु निवेदन किया है:

क्र. सं.	चिकित्सक का नाम	मेरिट संख्या	पदस्थापन स्थान	अभिवृद्धि का कारण	कार्यग्रहण अवधि में वांछित वृद्धि की दिनांक
1.	डा० बी०एल० गीणा	373	प्राथ०स्वा०केन्द्र, बरुन्दनी (भीलवाडा)	पी०जी० करने के कारण	एम०सी० आई० के निरीक्षण पूर्ण होने तक
2.	डा० पारुल प्रकाश	1	सामु०स्वा०केन्द्र गजनेर (बीकानेर)	पी०जी० करने के कारण	एम०सी० आई० के निरीक्षण पूर्ण होने तक
3.	डा० एकता सोनी	425	प्राथ०स्वा०केन्द्र गौरगदेसर (बीकानेर)	पी०जी० करने के कारण	एम०सी० आई० के निरीक्षण पूर्ण होने तक
4.	डा० अरिमता नाथक	979	सामु० स्वा० केन्द्र गंगूवाला श्रीगंगानगर	पी०जी० करने के कारण	एम०सी० आई० के निरीक्षण पूर्ण होने तक
5.	डा० राकेश कुमार गीणा	74	प्राथ०स्वा०केन्द्र बालघाट (कसौली)	पी०जी० करने के कारण	दिनांक 30/06/11 तक
6.	डा० विवंकांशु शर्मा	231	प्राथ०स्वा०केन्द्र सराधना (अजमेर)	पी०जी० करने के कारण	दिनांक 14/07/11 तक
7.	डा० महेन्द्र निमेल	332	प्राथ०स्वा०केन्द्र अलाय (गागौर)	पी०जी० करने के कारण	दिनांक 30/06/11 तक


उपरोक्त चिकित्सकों को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 30/06/11 तक नवनियुक्ति स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करले अन्यथा निर्धारित अवधि तक कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त/नाम नियुक्ति आदेश से विलोपित हो जायेंगे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदनोपरान्त जारी किये जाते हैं।


निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शारान सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वा० विभाग, (ग्रुप-2) राजस्थान जयपुर।
4. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी, संबंधित।
6. संबंधित चिकित्सक को घर के पते पर रपीड पोस्ट द्वारा।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करें।
8. निजी/आदेश पत्रावली।


निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।